कार्यालय प्रबन्ध संचालक
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय–निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा,भोपाल. 462023
सीआईएन – U40109MP2002SGC015119
फोन आफिस 0755–2602033–34 फैक्स – 2589821
वेबसाइट : www.mpcz.co.in
मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008 प्रमाणित)

क्रमांक / प्रसं. / म.क्षे. / स्था. / 4430 भोपाल, दिनाँक : 25-06-18

प्रति,

लेखाधिकारी,
लेखाइकाई (................................).
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
.... ।

विषयः– पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को माह जुलाई 2017 से मई 2018 तक की अवधि के देय मंहगाई राहत की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भः– मुख्य अभियंता (मा.सं. एवं प्रशा) म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. जबलपुर का आदेश क्रमांक अस / एमपीपीटीसीएल / पाँच / 1790–91 दिनांक 15.06.2018.

****

उपरोक्त संदर्भित आदेश के माध्यम से म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. जबलपुर द्वारा पूर्ववर्ती म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व से सेवानिवृत्त पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को माह जुलाई 2017 से मई 2018 तक की अवधि के देय मंहगाई राहत की बकाया राशि का एकमुश्त नगद भुगतान माह जून 2018 की पेंशन के साथ किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

महाप्रबंधक (स्थापना)

क्रमांक / प्रसं. / म.क्षे. / स्था. / 4431 भोपाल , दिनाँक : 25-06-18

प्रतिलिपिः

1. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्यालय प्रबंध संचालक (म.क्षे.) भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (मा.सं. एवं प्रशा.), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. जबलपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे. / ग्वा.क्षे.), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल / ग्वालियर।
4. महाप्रबंधक (शहर / सं / सं.), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि...

– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. उप महाप्रबंधक (वित्त) / (पेंशन एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधा) कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे.) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि भोपाल।

उप महाप्रबंधक (मा.सं)

E (Drive)/2018/Iyer Madam/Hindi Letter/106

20

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासनका उपक्रम)
CIN: U40109MP2001SGC014880
रजिस्टर्डआफिसः ब्लाकनं. 2 शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041
फैक्सः(0761) 2664450,e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in,

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीईएल/पांच/1790 दिनांक 15-06-2018

आदेश

म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. के आदेश क्रमांक-अस/एमपीपीटीसीईएल/2046 दिनांक 01.07.2017 तथा आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ई–6/4116 दिनांक 29.12.2017 की कंडिका 15 के तारतम्य में सभी पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों, जिसमें म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को छठवें वेतनमान के अनुसार 136% एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 4% की दर से मंहगाई राहत देय है। म.प्र.शासन के ज्ञाप. क्रमांक एफ 9–6/2017/नियम/चार दिनांक 04 जून, 2018 के अनुक्रम में कम्पनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जुलाई 2017 से निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत देय होगी :–

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
छठवें वेतनमान के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 139% (3% की वृद्धि)
सातवें वेतनमान के अनुसार दिनांक 01.07.2017से	पेंशन/परिवार पेंशन का 5% (1% की वृद्धि)

2. 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

3. इस आदेश के उपरांत बढ़ी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह जून 2018 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह जुलाई 2017 से मई 2018 की अवधि की अंतर राशि (एरियर्स) का भुगतान एकमुश्त माह जून 2018 की देय पेंशन के साथ किया जावेगा।

4. मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा ।

5. पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी ।

O/o MD (CZ)
BHOPAL
R/R No. 5797
Date 23/06/18
D.G.M.(HR) S.O.
19 JUN 2018

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)

--2--

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/पांच/1791 दिनांक 15-06-2018

प्रतिलिपि—

01 अवर सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

02 कार्यपालक निदेशक (सीआरए)/(मा.संसा.वि.सं.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

03 मुख्य अभियंता (टी.एण्ड सी.)/(प्रोक्योरमेंट)/(योजना एवं रूपांकन)/(अउदा—निर्माण)/(अउदा—संधारण एवं निरीक्षण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(कार्य)/(ट्रांस.पूर्व क्षेत्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

04 मुख्य अभियंता (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर।

05 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एंड ए.), म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।

06 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एंड ए.), म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

07. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

08 अतिरिक्त मुख्य अभियंता(आई.टी.—ईआरपी)/(सिविल—ट्रांस.)/(सतर्कता)/(ट्रांसमिशन—पश्चिम क्षेत्र)/(ट्रांसमिशन—मध्य क्षेत्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/ इंदौर/भोपाल।

09 अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/(अउदा—निर्माण)/(अउदा—संधारण)/400 के.व्ही. उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., ...

10 संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

11 वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

12 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, प्लाट नं. सी—19, `E' ब्लाक, प्रकाशगंगा, 7वीं मंज़िल, बांद्रा—कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई—400051.

13 अति. महाप्रबंधक (मा.स.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, रायपुर।

14 कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/(संचार)/(अउदा—निर्माण)/(अउदा—संधारण)/(कर्मशाला)/(400 के.व्ही. परीक्षण)/(उप भार प्रेषण केंद्र), संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,....................

15 उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

16 कल्याण अधिकारी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

17 निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

18 क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

19 वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/(के.ले.ई.)/म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड/म.प्र.पावर मैनेजमेंट/जनरेटिंग कं. लि., ...

20 वेब मास्टर।

टीप :— <u>सरल क्रमांक 4, 5 एवं 6 के लिये।</u>

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के कियान्वयन हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें ।

अधीक्षण अभियंता—दो
कार्या. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)